जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव

न्याय सबके लिये

निः शुल्क कानूनी सहायता सलाह

कानूनी साक्षरता, हटाये दुर्बलता
From Ignorance to Legal Empowerment

न्याय सबके लिये है न्याय पाने का भी सभी को समान अधिकार है। यदि आप अपना प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं या आपका कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो आपकी गरीबी आपको न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी, अब आपके प्रकरणों में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु तालुक विधिक सेवा समितियां, जिला सेवा प्राधिकरण व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही है।

कौन-कौन व्यक्ति विधिक सेवा/विधिक सलाह पाने का हकदार :-

- वह व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
- वह व्यक्ति, जो मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित, बेगार सताया गया है,
- स्त्री या बालक है,
- मानसिक रुप से अस्वस्थ्य या अन्यथा असमर्थ है,
- वह व्यक्ति जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु-विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ है, या
- कोई औद्योगिक कर्मकार है, या
- अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मानसिक परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या
- यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय 1,00,000=00 रुपये (अंकन एक लाख रुपये) से अधिक न हो, विधिक सेवा पाने का हकदार होगा।

विधिक सेवा एवं सलाह किन-किन रुपों में प्राप्त की जा सकेगी :-

- कोर्ट फीस, आदेशिका फीस, साक्षियों तथा पेपर बुक के व्यय, वकील फीस और कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में देय समस्त खर्च। कानूनी कार्यवाहियों में वकील उपलब्ध कराना।
- कानूनी कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य की टिप्पणियों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलबध कराना।
- कानूनी कार्यवाहियों में पेपर बुक तैयार करना, जिसमें दस्तावेजों का मुद्रण - टंकण तथा अनुवाद के खर्च सम्मिलित है।
- कानूनी दस्तावेजों का प्रारुपण कराना।
- किसी कानूनी मामले में कानूनी सलाह देना।

विधिक सहायता किन अदालतों में प्राप्त की जा सकती है :-

- विधिक सहायता जिले तथा तहसील में स्थित सभी न्यायालय सहित उच्च न्यायालय राजस्व मंडल न्यायिक-न्यायधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय हेतु प्राप्त की जा सकती है।

विधिक सेवा के लिये आवेदन कैसे करें :-

विधिक सेवा के लिये आवेदन-पत्र जिले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को।
तहसील में स्थित व्यवहार न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश को।
उच्च न्यायालय के लिये सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को देवें।
ओवदन संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश को भी दिये जा सकते हैं।

मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधिक सहायता अधिवक्ता स्कीम :-

प्रतिनिधित्व विहीन व्यक्तियों को अभिरक्षा अवधि में न्यायालय में सम्मानजनक पैरवी सुनिश्चित करने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिये रिमांड का विरोध करने, जमानत कराने तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में पैरवी कराने हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है ताकि प्रतिनिधित्व विहीन अभिरक्षा में रह रहे व्यक्तियों को समानता के आधार पर न्याय प्राप्त हो सके। जिला तथा तहसील के न्यायिक तथा कार्यपालिक दंडाधिकारी के न्यायालय हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। अभिरक्षाधीन व्यक्ति विधिक सहायता अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

विधिक सेवा ऑन लाईन :-

दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल में रहने वाले व्यक्ति विधिक सेवा ऑन लाईन के जरिये विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सलाह प्राप्त करते हैं, उसके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव दूरभाष क्रमांक : 07744-227441, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के टोल फ्री नं. 18002332528 में संपर्क कर सकते हैं।

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ.ग.), फोन : 07744-227441

...जहाँ कहीं लोकतंत्र है, विधिक साक्षरता उसका मूल मंत्र है...

कृ.प.उ.